यीडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण संबंधी फैसला सही : कोर्ट

नई दिल्ली/नोएडा, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यीडा की विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए तात्कालिक प्रावधानों को लागू किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया।

शीर्ष अदालत ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला दिया।जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण को बहाल रखा है। पीठ ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जमीन की अधिग्रहण के लिए आपत्तियों की सुनवाई को दरकिनार करने के लिए अधिनियम की धारा 17(1) और 17(4) के तहत तात्कालिक प्रावधानों को लागू करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इतनी बड़ी और विशाल परियोजना के लिए निश्चित रूप से आस-पास के क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता होगी, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना अनुचित होगा यमुना एक्सप्रेसवे से सटी भूमि का अधिग्रहण एकीकृत विकास के लिए नहीं किया गया था।